प्रेस नोट दिनांक 20.06.2025
थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

थाना भोजीपुरा जनपद बरेली पुलिस द्वारा 16 वर्षो से वांछित चल रहे डकैती के 50 हजार के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

थाना भोजीपुरा जिला बरेली पर मुकदमा वादी श्री अलताफ खां पुत्र दूल्हा खां निवासी बघौरी थाना सितारगंज जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड के द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हथियारों के बल पर 04 ट्रैक्टर मय ट्रालियों के लूट कर ले जाने के सम्बन्ध मे दिनांक 28.04.2009 को मु0अ0सं0 336/2009 धारा 395 भादवि पंजीकृत कराया गया। जिसमें दौराने विवेचना दिनांक 20.06.2009 को 10 अभियुक्तगण 1.दीपक बहेलिया पुत्र मोहन बहेलिया, 2. अजीत बहेलिया पुत्र किशनपाल बहेलिया 3.सुरेश पुत्र किशनपाल बहेलिया, 4.परसेला पुत्र प्रहलाद बहेलिया, 5.श्याम सिंह पुत्र श्रीपाल बहेलिया, 6.चन्द्रपाल पुत्र सोरनसिंह 7.सतीश पुत्र मनोहर बहेलिया, 8.राहुल पुत्र श्रीपाल बहेलिया निवासीगण ग्राम बनपोई थाना मोहम्मदाबाद जनपद फरुर्खाबाद, 9. जन्डैल सिंह गूजर पुत्र सुम्मेर सिंह, 10. सुजान सिंह पुत्र सुम्मेर सिंह निवासीगण केथोडा थाना इन्डोरी जिला भिन्ड मध्यप्रदेश के नाम प्रकाश में आये।

विवेचना के दौरान दिनांक 20.6.2009 को 6 अभियुक्तों 1.दीपक बहेलिया 2.अजीत बहेलिया 3.सुरेश 4.परसेला 5.श्याम सिंह 6.चन्द्रपाल उपरोक्त को मय 06 ट्रैक्टर ट्रौली के साथ गिरफ्तार किया गया तथा 02 अभियुक्त जन्डैल व सुजान जो मध्य प्रदेश के भिण्ड के रहने वाले थे को दिनांक 06.06.2011 को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। नोवें अभियुक्त राहुल पुत्र श्रीपाल वहेलिया निवासी वनपोई थाना मोहम्मदावाद जनपद फरूखावाद की मृत्यु हो गई। 10वें अभियुक्त सतीश पुत्र मनोहर निवासी बनपोई थाना मोहम्मदावाद जनपद फर्रुखाबाद के वांछित चलने के कारण दिनांक 11.07.2023 को 2500 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया एवं दिनांक 07.06.2025 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय , बरेली द्वारा 25000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया। श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय द्वारा दिनांक 19.06.2025 को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु धनराशि 50,000- रुपये की गयी।

उपरोक्त वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में थाना भोजीपुरा जिला बरेली व एसटीएफ फील्ड ईकाई बरेली की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त सतीश उर्फ मनीष पुत्र मनोहर उर्फ अजय निवासी बनपोई थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रूखाबाद हाल पता –आनन्द नगर वार्ड नम्बर 25 जाट कालोनी खैरथल, अलवर राजस्थान जो कि पिछले 16 वर्षो से वांछित चल रहा था को दिनांक 19.06.2025 को खैरथल थाना अलवर, राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ-

अभियुक्त सतीश उर्फ मनीष पुत्र मनोहर उर्फ अजय निवासी बनपोई थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रूखाबाद हाल पता –आनन्द नगर वार्ड नम्बर 25 जाट कालोनी खैरथल, अलवर राजस्थान ने पूछने पर बताया कि मैं घुमन्तू जाति से ताल्लुक रखता हूं। घुमन्तू जाति के लोग इधऱ उधर , कभी इस शहर या कभी किसी शहर मे डेरा डालकर रहते है। वर्ष 2009 में हम लोग बरेली में डेरा डाल रह रहे थे, उन दिनों थाना भोजीपुरा जिला बरेली में पावर ग्रिड में मिट्टी डालने का कार्य चल रहा था। तभी मैंने अपने 10 साथियों सहित 04 ट्रैक्टर ट्राली दोहना पावर ग्रिड के पास से लूट लिय़े थे। उसके कुछ समय 02 ट्रैक्टर ट्राली ग्राम उदयपुर थाना देवरनिया से लूट लिये थे। घटना के कुछ समय बाद मेरे 6 साथी 1.दीपक बहेलिया 2.अजीत बहेलिया 3.सुरेश 4.परसेला 5.श्याम सिंह 6.चन्द्रपाल को 06 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 02 साथी जन्डैल व सुजान जो मध्य प्रदेश के भिण्ड के रहने वाले थे, को भी पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया था। एक साथी राहुल की मृत्यु हो गई थी। पुलिस का शिकंजा कसने लगा था। मैं भी काफी डर गया था। मैं अपने परिवार सहित नाम पता बदलकर इधऱ उधर रहने लगा तथा अपने आपको पुलिस से छिपाता रहा एवं गिरफ्तारी से बचाता रहा। मैं लगभग 15 वर्ष पूर्व अपने परिवार सहित राजस्थान जिला अलवर में जाकर रहने लगा। कुछ समय बाद मैं वहां ऑटो चलाने लगा था तथा अपना नाम भी बदल लिया, पूछने पर मैं अपना नाम मनीष पुत्र अजय बताता था। न ही मैं अपने किसी रिश्तेदार से वास्ता रखता था न उनसे बातचीत करता था। नाम गलत बताने का कारण पूछा तो बताया कि हम लोग घूमन्तु बहेलिया गिरोह के है एवं अलग-अलग जगह जाकर अपना नाम-पता बताकर अपराध करते हैं। असली नाम-पता छुपा कर रखते है ताकि पुलिस से बच सके। जब हमारा कोई साथी पकड़ा जाता है तो वह भागे हुए साथियों का असली नाम पता न बताते हुये गलत नाम पता बता देता है, ताकि पकड़े न जा सके एवं पकड़े जाने पर भी गलत नाम पता लिखवा देते है, ताकि जमानत बाद दोबारा न पकड़े जा सके एवं किसी दूसरे नाम से अपने कागज बनवा लेते है, जिससे आसानी से

छूटा जा सके। वर्तमान में मैं आनन्द नगर वार्ड नम्बर 25 जाट कालोनी खैरथल, अलवर राजस्थान में रह रहा था। काफी समय बीत जाने के कारण मुझे लगने लगा था कि अब पुलिस मुझे नहीं पकड पायेगी। लेकिन पता नहीं कैसे पुलिस ने मेरी लोकेशन का पता कर लिया और मुझे गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/आपराधिक इतिहास-

1.सतीश उर्फ मनीष पुत्र मनोहर उर्फ अजय निवासी बनपोई थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रूखाबाद हाल पता – आनन्द नगर वार्ड नम्बर 25 जाट कालोनी खैरथल, अलवर राजस्थान।

1.मु0अ0सं0 336/2009 धारा 395/412 भादवि थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
2.मु0अ0सं0 425/2009 धारा 395/397/412 भादवि थाना देवरनिया जिला बरेली।
3.मु0अ0सं0 101/2009 धारा 396 भादवि थाना अन्छेरा जिला आगरा।

पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक प्रवीन सोलंकी थाना भोजीपुरा बरेली।
2.उ0नि0 वीरेन्द्र स्वरुप थाना भोजीपुरा बरेली।
3.उ0नि0 धूमसिंह एसटीएफ फील्ड ईकाई बरेली।
4.मु0आ0 संदीप एसटीएफ फील्ड ईकाई बरेली।
5.मु0आ0 कुलदीप एसटीएफ फील्ड ईकाई बरेली
6.मु0आ0 अरूण एसटीएफ फील्ड ईकाई बरेली।
7.आरक्षी संजय यादव एसटीएफ फील्ड ईकाई बरेली।